

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 260]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 17 जून 2013—ज्येष्ठ 27, शक 1935

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 17 जून 2013

क्र. एफ 1(बी)10-2012-पचास-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश महिला एवं बाल विकास (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2011 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची चार में, कालम (2) में, मद सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पश्चात्, अनुक्रमांक-2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2-(क)	सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी	बाल विकास परियोजना अधिकारी	5 वर्ष	तदैव	तदैव
(ख)	पर्यवेक्षक	बाल विकास परियोजना अधिकारी	10 वर्ष	तदैव	सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी की पदोन्नति हेतु आरक्षित पद पर संयुक्त विचारण क्षेत्र सूची में वरिष्ठता नीचे निर्धारित की जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एल. करयाम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 17 जून 2013

क्र. एफ 1(बी)10-2012-पचास-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 1(बी)10-2012-पचास-1, दिनांक 17 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एल. करयाम, उपसचिव.

Bhopal, the 17th June 2013

No. 1(b)10-2012-L-1.—In exercise of the power conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in Madhya Pradesh Women and Child Development (Gazetted) Service Recruitment Rule, 2011, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in Schedule IV, in column (2) after the item Assistant Statistical Officer, for serial number 2 and entries relating thereto; the following serial number and the entries relating thereto shall be substituted namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2-(a)Assistant Child Development Project Officer	Child Development Project Officer	5 years	-do-	-do-
	(b) Supervisor	Child Development Project Officer	10 years	-do-	On the reserve post for promotion of Assistant Child Development Project Officer seniority will be fixed below in zone of joint consideration list.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
M. L. KARYAM, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 17 जून 2013

क्र. एफ 1(बी)10-2012-पचास-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश महिला एवं बाल विकास तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम, 2009 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची चार में, अनुक्रमांक-7 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एल. करयाम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 17 जून 2013

क्र. एफ 1(बी)10-2012-पचास-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 1(बी)10-2012-पचास-1, दिनांक 17 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एल. करयाम, उपसचिव.

Bhopal, the 17th June 2013

No. 1(b)10-2012-L-1.—In exercise of the power conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in Madhya Pradesh Women and Child Development Class III (Executive) Service Recruitment Rule, 2009, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in Schedule IV, serial number 7 and entries relating thereto shall be Ommited.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
M. L. KARYAM, Dy. Secy.